

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

आदेश

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (ATDC) पटना को विभिन्न ट्रेडों में गैर-आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु स्वीकृत्यादेश सं०-951 दिनांक- 08.03.2018 द्वारा कुल राशि ₹5,26,09,920.00 (पाँच करोड़ छब्बीस लाख नौ हजार नौ सौ बीस रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपर्युक्त राशि उद्योग मित्र के P.L.A.-277 में हस्तान्तरित/रक्षित है।

अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर, (ATDC) पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गैर आवासीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पर्याप्त संख्या में नहीं हो पाने के कारण उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई महसूस की जा रही है। दूर-दूराज के बेरोजगार युवक/युवती आवासीय प्रशिक्षण के आभाव में बिहार सरकार के इस महत्त्वकांक्षी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनका प्रस्ताव है कि वर्ष 2017-18 में गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत ₹5,26,09,920.00 (पाँच करोड़ छब्बीस लाख नौ हजार नौ सौ बीस रुपये) मात्र में से ही आवासीय प्रशिक्षण चलाने की अनुमति अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर, (ATDC) पटना को दिया जाय।

सम्यक् विचारापरांत सरकार द्वारा अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर, (ATDC) पटना को उक्त स्वीकृत राशि ₹5,26,09,920.00 (पाँच करोड़ छब्बीस लाख नौ हजार नौ सौ बीस रुपये) से ही आवासीय प्रशिक्षण देने पर सहमति प्रदान की जाती है। बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) के कास्ट नार्म के अनुसार पटना नगर निगम अंतर्गत आवासन हेतु 250 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन तथा अन्य नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आवासन हेतु 200 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन देय होगा। यह आदेश आगे चलने वाले प्रशिक्षण सत्र के लिए ही लागू होगा।

प्रशिक्षण एवं राशि भुगतान की अन्य शर्तें बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) के दिशा निदेश के अनुसार यथावत रहेगी।

प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/—

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक / सं०सं०- ०३/उ०नि०/ कौशल विकास प्रशिक्षण -०२/२०१६

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक / सं०सं०- ०३/उ०नि०/ कौशल विकास प्रशिक्षण -०२/२०१६

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कृ०प०उ०

ज्ञापांक / सं०सं०- 03/उ०नि०/ कौशल विकास प्रशिक्षण -02/2016 पटना, दिनांक
प्रतिलिपि :- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह०/-

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक / सं०सं०- 03/उ०नि०/ कौशल विकास प्रशिक्षण -02/2016 पटना, दिनांक
प्रतिलिपि :- अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर, (ATDC) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह०/-

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक / सं०सं०- 03/उ०नि०/ कौशल विकास प्रशिक्षण -02/2016 पटना, दिनांक
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
ह०/-

ह०/-

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 360 / सं०सं०- 03/उ०नि०/ कौशल विकास प्रशिक्षण -02/2016 पटना, दिनांक 11.2.19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना/वित्त विभाग/मिशन निदेशक (BSDM) पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 (स०), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को एवं प्रशाखा-03, उद्योग निदेशालय/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।